तीस्ता का जाहिरा शेख मुकाम

विकास नारायण राय

तीस्ता सीतलवाड गिरफ्तारी प्रकरण की न्यायिक विसंगतियों में झांकने के लिए, अब लगभग भुला दी गई बेस्ट बेकरी काण्ड की जाहिरा शेख को याद करना होगा। फ्लिहाल सर्वोच्च न्यायालय के दखल से तीस्ता मामले में न्याय का वक्ती तौर पर पथ.प्रदर्शन हुआ है, और तीस्ता को हिरासत में लेने पर उतारू गुजरात पुलिस की मनमानी पर लगाम लगी है। पर किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि इससे मोदी.शाह संचालित इस पुलिस की 2002 से चली आ रही बुनियादी रणनीति बदलने जा रही है, जिसके तहत साम्प्रदायिक नरसंहार और झूठी मुठभेड़ों में राज्य की आपराधिक सांठ.गांठ पर पर्दा डालने के लिए अपराधियों को अभियोजक, पैरोकारों को अपराधी और गवाहों को मूक दर्शक बनाने का खेल धड़ल्ले से चलाया जाता रहा है।

अकस्मात नहीं कि जो पुलिस गुजरात नरसंहार के आरोपियों को न्याय की पहुँच में लाने की भागीरथ कवायद से प्रमुखता से जुड़ी रही तीस्ता को फर्जी शिकायत पर गिरफ्तार करने की जल्दबाजी में नजर आयी, उसने इसी दौरान एक के बाद एक वंजारा जैसे झूठी मुठभेड़ के हत्यारोपी पुलिस अफ्सरों के जमानत पर छूटते जाने के विरुद्ध अपील की कानूनी जुम्बिश तक करनी भी गंवारा नहीं की। माना जाता है कि ये तथाकथित मुठभेड़ें आतंकवादियों से निपटने के नाम पर तत्कालीन मोदी.शाह प्रशासन को माचो छवि प्रदान करने के क्रम में आयोजित की गयीं, जिसकी पुष्टि स्वयं वंजारा ने एक वर्ष पूर्व जेल से जारी अपने बयान में की थी। यहाँ तक कि इन मुठभेड़ों में सह.आरोपी पुलिस अधिकारी पी पी पांडे को जमानत पर छूटते ही राज्य की कानून.व्यवस्था का प्रमुख बना दिया गया है। जबकि नरसंहार मामलों के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता सतीश वर्मा को कर्त्तव्य के साथ खड़े रहने के एवज में प्रताड़ित करने के लिए हत्या के फर्जी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। कल को उनकी गिरफ्तारी भी खबर बन जाय तो ताज्जुब नहीं।

स्वयं अमित शाह को भी सीबीआइ ने फर्जी मुठभेड़ मामलों में षड्यंत्र का दोषी ठहराकर गिरफ्तार किया था। उनके विरुद्ध बाकायदा आरोपपत्र भी दाखिल हुआ। इस जनवरी में मुम्बई की विशेष अदालत के नए जज ने शाह को ट्रायल शुरू होने से पहले ही इस टिप्पणी के साथ आरोपमुक्त कर दिया कि उन्हें राजनीतिवश मुकदमे में लपेटा गया है। ताज्जुब है कि शाह और सीबीआइ दोनों ने अदालती आदेश पर चुप्पी साध लीद्य न शाह ने इससे राजनीतिक फायदा उठानेवाली स्वाभाविक मुहिम चलाई और न ही सीबीआइ ने फैसले के विरुद्ध उच्च अदालत में अपील करने की कानूनी पहल कीद्य सीबीआइ के मुताबिक उन्होंने तो सारे तथ्य विशेष अदालत के सामने रख दिए थेए अब अपील में नया क्या कहें इस तर्क को मानें तो सीबीआइ को किसी भी मामले में कभी अपील करनी ही नहीं चाहिएद्य आरोपमुक्त शाह का सार्वजनिक बहस से परहेज और सीबीआइ का अपील न करना अकारण तो नहीं हो सकते।

सीबीआइ की कार्यशैली से परिचित जानते हैं कि शाह जैसी वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती के विरुद्ध सबूतों की छानबीन एवं गिरफ्तारी और उन्हें आरोपपत्र में शामिल करने का निर्णय जांच एजेंसी के सर्वोच्च स्तर पर ही लिया गया होगा। उस समय सीबीआइ के मुखिया होते थे ए पी सिंह, जिन्हें अवकाशप्राप्ति के बाद मनमोहन.सोनिया सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता से पुरस्कृत कियाद्य पर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोपों से घिरे इस अफ्सर को बजाय जवाबदेह ठहराने के, मोदी सरकार ने उपरोक्त अदालती टिप्पणी की आड़ में इस्तीफा देकर चुपचाप निकल जाने का चोर दरवाजा इस्तेमाल करने दिया। जाहिर है, इस प्रकरण में सभी की दिलचस्पी एक दूसरे के पापों को ढंकने में हैद्य

अब भी तीस्ता की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक का मतलब यह नहीं कि अब गुजरात पुलिस के अनुसंधानकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही होगीद्य उनके लिए तो कानून का शासन का मतलब सत्ताधारियों का इशारा समझना ही पहले भी रहा और आगे भी वही स्थिति रहेगीद्य दरअसलए राज्य में मोदी.शाह के लम्बे शासन में गुजरात पुलिस का मनोबल और कार्यशैली दोनों रसातल में पहुंचा दिए गए हैं। आज केंद्र सरकार में भी इस जोड़ी का दबदबा राज्य में उनके दौर की तार्किक परिणति को ही संभव कर रहा है।

अपराध जगत का शाश्वत नियम है कि अपराधी अपने किये के निशान छोड़ जाता है। कई बार रसूखदार अपराधी इन निशानों को ढंकने के प्रयास में स्वयं को और भी उलझा लेता है। इसके बावजूद, 2002 के साम्प्रदायिक तांडव के सन्दर्भ में सत्ताधारी राजनीतिकों के एजेंडे के प्रति वरिष्ठतम जांचकर्ताओं तक का भी समर्पण अभूतपूर्व ही कहा जाएगा। सीबीआइ के पूर्व निर्देशक राघवन के नेतृत्व में गठित जांच कमेटी ने के हाथों अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसायटी में पूर्व हाईकोर्ट जज एवं सांसद रहे एहसान जाफ्री की नृशंस हत्या का औचित्य साबित करने के लिए विधिशास्त्र को सर के बल खड़ा कर दियाद्य उन्मादी सांप्रदायिक गिरोह से घिरे जाफ्री ने टेलीफ्रेन पर तमाम प्रशासनिक व राजनीतिक केन्द्रों से जान बचाने की गुहार की थी, और हत्यारों को निरुत्साहित करने के अंतिम प्रयास.स्वरूप, आत्मरक्षा में, अपनी लाइसेंसशुदा बन्दूक से हवा में फ्रायर किये थे। राघवन के निष्कर्षों के अनुसार इस तरह जाफ्री ने स्वयं ही भीड़ को अपनी हत्या के लिए उकसाया, जबकि हत्यारों का मन्तव्य इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उस हमले में जाफ्री समेत उनहत्तर जानें ली गयी थींद्य आज तीस्ता के पीछे हाथ धो कर पड़ी गुजरात पुलिस का भी यही तर्क नजर आता हैद्य तीस्ता पर इसी गुलबर्गा सोसायटी में म्यूजियम के नाम पर जमा की गयी रकम को गबन करने का आरोप लगाया गया है. क्या गुलबर्गा सोसायटी के नृशंस हत्यारों को सजा दिलाने की पैरवी में सक्रियता दिखाकर तीस्ता ने स्वयं ही अपनी गिरफ्तारी को दावत नहीं दी है!

तीस्ता.गिरफ्तारी जैसे प्रकरण, गुजरात 2002 के सन्दर्भ में, न्याय.व्यवस्था की विसंगतियों की टुकड़ों.टुकड़ों में बिखरी दास्तान लम्बे समय तक कहते रहेंगे। इस क्रम में कितने ही अध्याय अभी लिखे जाने की दस्तक दे रहे हैं, मैने इस आलेख के शुरू में यूं ही नहीं कहा था कि हमें बेस्ट बेकरी की जाहिरा शेख को टटोलना होगा। दरअसल, जाहिरा शेख को नहीं उसके विश्वासघातष् को।

संक्षेप में जाहिर शेख प्रकरण रू एक मार्च 2002 की सुबह वदोदरा की बेस्ट बेकरी को साम्प्रदायिक हिंसा पर उतारू पांच सौ की भीड़ ने घेर लिया और भीतर छिपे लोगों में से चौदह को मौत के घाट उतार दिया। उन्नीस वर्षीय चश्मदीद गवाह जाहिरा शेख ने धमकियों और प्रलोभनों के बीच कई बार अपना बयान बदला और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत से झूठ बोलने के आरोप में उसे एक वर्ष की कैद और पचास हजार रुपये जुरमाने की सजा सुनायी। शुरू में तीस्ता की सरपरस्ती की बदौलत न्याय के रास्ते पर डटी रही जाहिरा शेख ने अंत में तीस्ता पर ही उसे बरगलाने का दोष तक मढ़ डाला।

सर्वशक्तिमान सुप्रीम कोर्ट और तीस्ता जैसे साधन.सम्पन्न एनजीओ के संरक्षण और चर्चित मानवाधिकारवादी हस्तियों समेत राष्ट्रीय मीडिया के समर्थन के बावजूद जाहिरा शेख न्याय के मैदान में नहीं टिक पायी। इसे अकेले जाहिरा शेख के भटक जाने का मामला मानना घोर नादानी होगी। साम्प्रदायिक राजनीति के जुनूनी धरातल पर जाहिरा शेखों के साथ जो होता रहा है और उनके पक्षकार कानून या मानवता के लिहाज से उनके लिए जो करते रहे हैं, दोनों के बीच गहरी खाई है।

उस दौर में राष्ट्रीय मीडिया ने गुजरात नरसंहार की तुलना नाजी प्रयोगों से की और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि आज के नीरो कहीं और देख रहे थे और शायद इस पर विचार कर रहे थे कि अपराध करनेवालों को कैसे सुरक्षित रखा जाय या कैसे बचाया जाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जोर दिया कि मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी जाये आपराधिक न्याय प्रशासन का यह प्रमुख सिद्धांत है कि आरोपियों के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी खुद आरोपियों को नहीं सौंपी जानी चाहिए। तीस्ता सीतलवाड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ्नामे में कहा कि मैंने अब तक जिन भी पीड़ितों से बात की है वे सभी आतंकित हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें गुजरात राज्य के वर्तमान अभियोग तंत्र से कभी भी न्याय मिलेगा।

इस तरह, कानून के कवच.कुंडल पहनाकर जाहिरा को साम्प्रदायिक चक्रव्यूह में उतार दिया गया और अंततः उसे ही दोषी पाया गया कि वह, ताकि न्याय.व्यवस्था का झंडा ऊंचा रहेए इस चक्रव्यूह को तोड़ क्यों नहीं पाई।

जब चक्रव्यूह रचा जा रहा था तो ये पक्षकार किस भूमिका में थे गुजरात में कानून व्यवस्था के एक भी पद पर कोई मुसलमान नहीं रहने दिया गया था और राष्ट्रीय मीडिया तक के लिए यह कभी खबर ही नहीं बनी। गोधरा के डाकबंगले में एक हिन्दू पुलिस इन्स्पेक्टर ने मुझसे डींग मारी कि उसकी मां मरती मर जाय पर वह उसे किसी मुसलमान डाक्टर के पास दिखाने नहीं ले जायेगा वह पांच साल से किसी मुसलमान के घर नहीं गया था और न कोई मुसलमान उसके घर आया था। तत्कालीन गुजरात प्रशासन की नसों में अरसे से डाला जा रहा साम्प्रदायिकता का घुन उसे खोखला कर चुका था, बेशक यह झलक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तत्कालीन क्षोभ.भरी टिप्पणियों में भी नहीं मिलेगी।

हत्यारों के बरी होने पर, सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता की मार्फ्त दाखिल हलफ्नामे में, जिसकी वैधता को उसने बाद में स्वयं चुनौती भी दी, जाहिरा शेख ने कहा कि मुझे अदालत पहुंचने और कानूनी सहायता के लिए मानवाधिकार संगठनों और राहत कमेटी का इंतजार था, लेकिन कोई भी मेरी सहायता को नहीं आया। उनका कहना था कि क्योंकि यह बड़ा मामला है, क्या मैं वकील नियुक्त करने और कानूनी सहायता के लिए 4 लाख खर्च करने में सक्षम हूं। एक तरफमेरा परिवार था, दूसरी तरफमेरी गवाही। मुझे इन दोनों में से एक का चुनाव करना था। मुझे अपने परिवार को चुनना था और बयान से मुकरना था....मैं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए इस मुकदमे को दोबारा शुरू करना चाहती हूं.....।

दरअसल यह एक ऐसी औरत का बयान है जिसे किसी पर भरोसा नहीं हो सकता था। ऐसी कलंकित घटना की चश्मदीद गवाह औरत कि जिससे अपराध.दंड.न्याय व्यवस्था बेखबर रही, जबकि उसके परिवारवालों को कत्ल किया जाता रहा और सम्पत्ति जलायी जाती रही और औरतों को बलात्कार में घसीटा जाता रहा। अब वह बस अपने बचे.खुचे परिवार की सुरक्षा चाहती है और जली बेकरी व कत्ल हुए परिवारजनों के एवज में इतना मुआवजा कि जीवन की नयी शुरुआत कर सके। कई बार इधर.उधर लुढ़कने के बाद अंततः उसने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की उम्मीद के बजाय मोदी का रहमोकरम ज्यादा भरोसेमंद है, और तीस्ता की मदद से ज्यादा उसे कातिल गिरोह से मिलनेवाली रकम मुफीद आयेगी।

आज का तीस्ता गिरफ्तारी प्रकरण भी जाहिरा शेख वाले न्यायिक मुकाम पर खड़ा है। कभी जाहिरा शेख को जहां पहुँचाया गया था, तीस्ता को पहुँचाने की तैयारी है!

गतांक की चीरफ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 16-28 फ़रवरी 2015 का अंक मिला, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढ़ने को मिले। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सफ़ाया, भाजपा की शर्मनाक पराजय तथा आम आदमी पार्टी (आप) की एतिहासिक विजय का 'प्रधानमंत्री से परिधानमंत्री तक का सफ़र-दिल्ली चुनाव ने मोदी को नंगा कर दिया' तथा 'आपकी एतिहासिक जीत और अरविंद केजरीवाल से अपेक्षायें' लेखों में उपयुक्त विवेचन किया गया है।

यह विधानसभा चुनाव एतिहासिक था जिसमें भाजपा व उसके शीर्ष नेतृत्व विशेषकर मोदी व अमित शाह ने सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन किया और चुनाव प्रचार के स्तर को निम्नतन स्तर पर पहुंचा दिया। भाजपा ने दिल्ली के विकास का कोई खाका जनता के सामने प्रस्तुत करने की अपेक्षा केजरीवाल पर व्यक्तिगत आक्रमण करना ज़ारी रखा। दूसरी तरफ़ केजरीवाल ने इस कुचक्र में फंसने की बजाय जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास लगातार जारी रखा और दिल्ली के विकास का खाका जनता के सामने रखा, जिसका परिणाम केजरीवाल के पक्ष में रहा। लोकसभा चुनाव में भाजपा व मोदी को मिली विजय से उन्हें घमंड हो गया और कांग्रेस जो 44 सीटों पर सिमट गई थी और उसे केवल आठ प्रतिशत सीटें मिली उस पर भाजपा ने संसद में व बाहर कटाक्ष करना जारी रखा।

केजरीवाल ने इससे सवक लेकर अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को अगाह करते हुए कहा कि वे इस अभूतपूर्व जीत से घमंड में न आ जाएं नहीं तो जनता उनका भी कांग्रेस व भाजपा जैसा हाल कर देगी। भाजपा को दिल्ली विधानसभा में केवल 3 सीट मिली जो कुल 70 सीट का केवल 4.2 प्रतिशत है।

इस भारी सफलता से केजरीवाल व आप की जवाबदेही बढ गई है। इन्हें केन्द्र से समन्वय स्थापित करके जनता से किए गए वायदों को पूरा करना है जिसके लिये केन्द्र से टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरी तरफ अपनी पार्टी में विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों जैसे प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव, कुमार विश्वास आदि को भी साधे रखना है।

केजरीवाल ने स्वयं विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों से युक्त अपनी पार्टी की तुलना 'शिव की बारात' जिसमें गण, भूत प्रेत आदि शामिल थे से की थी। इसलिए ऐसे लोगों को पार्टी में इकट्ठे बनाए रखना भी केजरीवाल के लिए कड़ी चुनौती होगी। 'चार पैदा करो-कहने वाले तीन पर ही अटक गए' तथा 'लव जेहाद के नाम पर आम जनका ध्यान भटकाना' लेखों के जरिए संघ परिवार द्वारा देश में साम्प्रयायिक उन्माद व तनाव उत्पन्न करने व साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने के प्रयास की तरफ़ जनता का ध्यान आकर्षित करने का सफल प्रयास है। वास्तव में संघ परिवार द्वारा गुजरात में अपने सफ़ल प्रयोग के बाद इसे पूरे भारत में फ़ैलाने का कुचक्र है।

इस मामले में मोदी पहले की तरह रहस्यमय चुप्पी साधे हुए है। 'भारत सरकार ने कसम खाई नाश करेगी ई एस आई', 'हरियाणा सरकार ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज लेने को तैयार' तथा 'ई एस आई अस्पतालों में मज़दूरों की आपराधिक दुर्गति' लेखों से स्पष्ट है कि ई एस आई सी व सरकार को मज़दूरों की चिकित्सा सुविधा से कोई लेना-देना नहीं है। मज़दूरों की गाढी कमाई का हिस्सा जो ई एस आई सी के पास जमा होता रहता है उसे मज़दूरों के हित में खर्च नहीं किया जाता। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में सबको पता है।

ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज के सरकार के हाथ में जाने के बाद इसकी भी वही स्थिति हो जायेगी। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ़ उपलब्ध नहीं है और न ही वहां पर्याप्त चिकित्सा उपकरण व दवाइयां मिलती है। ऐसे में लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिये मजबूर हो जाते हैं जो सरकार के सहयोग से फलफूल रहे हैं। क्योंकि सरकारों ने जन कल्याणकारी कार्यों से अपने हाथ खींच रखे है।

काला धन विदेशों से लाकर हर भारतीय परिवार के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का लोक सभा चुनाव में मोदी के वायदे के बारे में भाजपा अध्यक्ष अमितशाह द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसे एक चुनावी जुमला कहने पर 'तुर्की-ब-तुर्की' द्वारा उचित कटाक्ष किया गया है। संघ परिवार द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने व पौराणिक कथाओं को विज्ञान, धर्म और राजनीति को मिश्रित करने के प्रयास का लेख 'मिथक शास्त्र विज्ञान और समाज में उचित विश्लेषण किया गया है। कविता 'क़ानून' के जरिए वर्तमान व्यवस्था तथा मज़दूर, किसान व आम लोग़ों की दशा पर उचित कटाक्ष किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रेरणादायक व प्रशंसनीय है।

प्रो. जुगल किशोर गुप्ता